☐ - भवन क्रमांक 577 EWS
मुखर्जी नगर, देवास

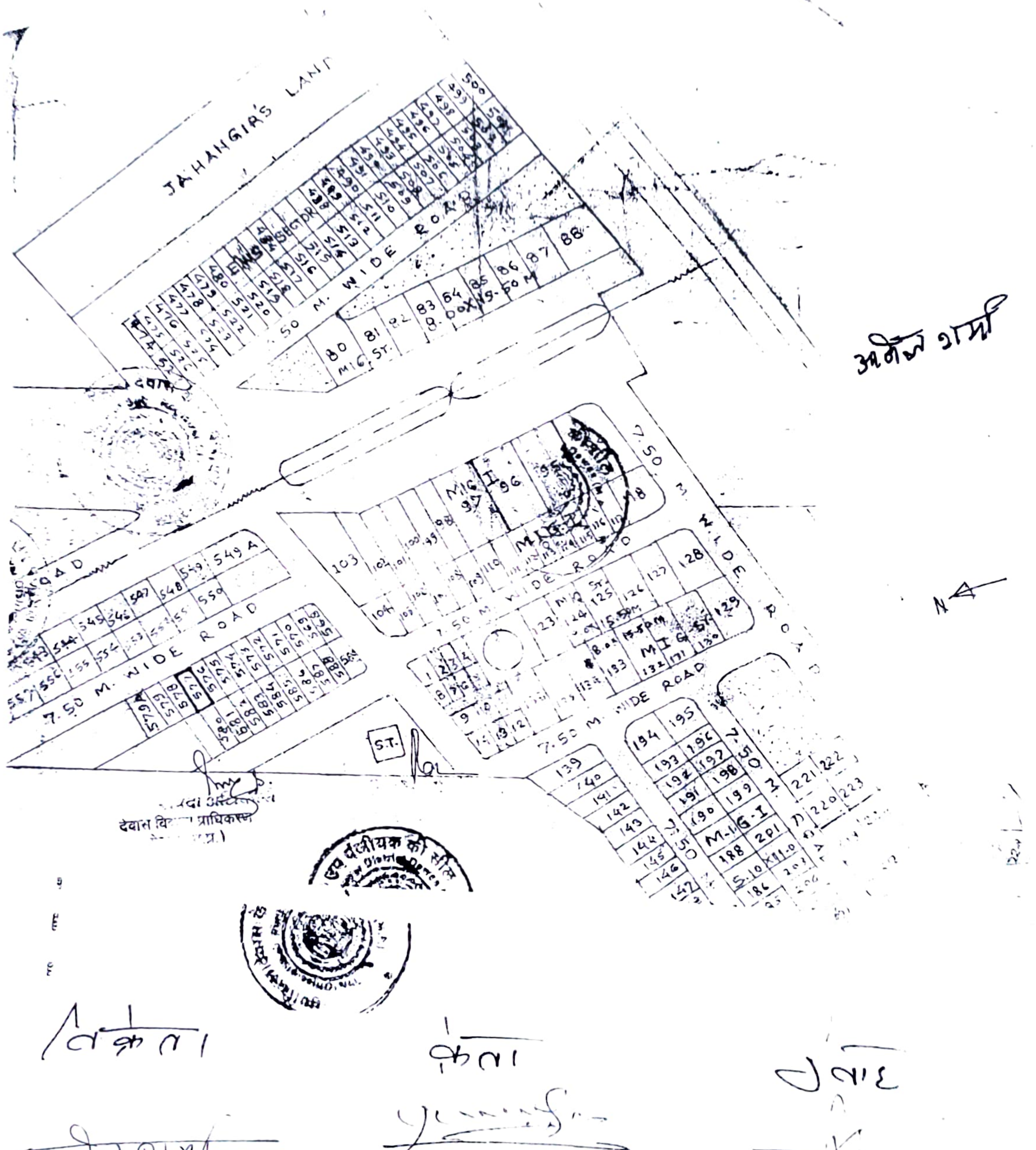

अनिल शर्मा

विक्रेता
अनिल शर्मा

क्रेता

गवाह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH E 647582

// ... //

यह कि उपरोक्त सम्पत्ति ... /वित्तीय संस्था/सोसायटी व प्रायवेट व्यक्ति के पास रहन, गिरवी, दा... अंतर्गत या किसी भी प्रभार मे नही है। यदि विक्रय पत्र पंजीयन के सम... कोई प्रभार इस सम्पत्ति पर हुआ तो इसको निपटाने का कुल उत्तरद... पक्ष का रहेगा, क्रेता/द्वितीय पक्ष को इसमे किसी भी प्रकार के हर्जे–ख... जावेगा।

यह कि उपरोक्त विवरण ... नगर पालिका निगम/नजूल /मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का कोई ब... कर/नलकर/बिजली व्यय आदि यदि इस प्रकार का कोई अवशेष ... पटा... कुल उत्तरदायित्व विक्रेता/प्रथम पक्ष का रहेगा, इसमे कि... ई उत्तरदायित्व क्रेता/द्वितीय पक्ष का नही रहेगा ।

यह कि उपरोक्त सम्पत्ति ... –अर्जित होकर उसके स्वंय के द्वारा क्रय की गई है। इस पर ... कार, स्वत्व व हिस्सा परिवार के किसी सदस्य का नही होकर ... के प्रभार के अंतर्गत नही है, यदि भविष्य मे इस प्रकार की ... ली गई तो उसको निराकृत करने का उत्तरदायित्व विक्रेता/ ... स्वत्व की कमजोरी या इस बाबद किसी विवाद मे क्रेता/द्वितीय पक्ष ...

यह कि ... स सम्पत्ति पर ... के नाते स्वत्व अधिकार विक्रेता/प्रथ... पक्ष को प्राप्त थे ... ता/ द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है। मौके पर उक्त मका... सम्पत्ति का विवरण दर्शाकर क्रेता/द्वितीय पक्ष को सौप दिया

...र ..... 7 पर

आनंद शर्मा

[signature]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 647583

यह कि उपरोक्त सम्पत्ति का विक्रेता पक्ष के द्वारा पूर्व मे कभी भी किसी प्रकार का कोई विक्रय करने आदि का इकरारनामा नही किया गया है और ना ही उसे विक्रेता पक्ष द्वारा किसी पारिवारिक हक, हिस्से या किसी को वसीयत मे लिखकर दिया गया है, यदि कहीं किसी प्रकार की लिखा पडी या मौखिक वायदा पाया गया तो वह इस विक्रय पत्र के सामने निरस्त एवं शुन्य माना जावेगा तथा यह निष्पादन उभय पक्ष के वारिसो एवं उत्तराधिकारियो पर भी बंधनकारक रहेगा।

यह कि उपरोक्त सम्पत्ति के मूल दस्तावेज विक्रय विलेख आदि विक्रेता/प्रथम पक्ष के द्वारा क्रेता/द्वितीय पक्ष को सौंप दिये है।

यह कि सदर सम्पत्ति का दस्तावेज क्रेता एवं विक्रेता के कथनानुसार वर्णन से तथा उपलब्ध उभय पक्ष से प्राप्त जानकारी के अधार पर तैयार कर अभिभाषक द्वारा अपने कार्यालय में टाईप तैयार करवाया गया है एवं क्रेता, विक्रेता के कथनानुसार वर्ण के आधार पर ही सदर सम्पत्ति के बिक्रीखत का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किया गया है ।

यह कि इस सम्पत्ति के नामांतरण आदि के संबंध मे जहाँ विक्रेता/ प्रथम पक्ष के सहयोग की आवश्यकता होगी वह अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगा एवं जहाँ स्वयं उसकी व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की आवश्यकता पडेगी वह स्वयं उपस्थित होकर कार्यवाही का निष्पादन करेगा एवं इसमे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नही लेगा।

निरन्तर .... 8 पर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 647584

// 08 //

उभय पक्ष ने इस विक्रय पत्र मे लिखे समस्त कथनो को गंभीरता **पूर्वक स्वयं** अध्ययन कर पढकर एवं समझकर स्वीकार करते हुए अपनी पूर्ण सहमती **प्रदान करते हुए** पुरे होश हवास मे स्वस्थ चित्त से दो उल्लेखित गवाहो के समक्ष उन्हे पढाकर **सुनाकर एवं** समझकर गवाह करवाते हुए जरूरत पडने पर काम आवे। दिनांक 30.09.2011

गवाह :–

1. हस्ताक्षर..
नाम पृथ्वीराज पिता श्री जगदीशचन्द्रजी परमार
पता मल्हार रोड टोडी, देवास म0प्र0

2. हस्ताक्षर..
नाम संदीप पिता श्री शिवनारायणजी सिनम
पता 640, राजाराम नगर, देवास म0प्र0

विक्रेता (प्रथम पक्ष)

क्रेता (द्वितीयपक्ष)

कार्यालय मे उभय पक्ष द्वारा दी गई जानकारी एवं निर्देशानुसार इस विलेख का प्रारूप तैयार किया गया है, पक्षकारो, गवाहो की पहचान व सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के छायाचित्र, से मेरा कोई संबध नही है।

शैलेन्द्र वसंतराव पवार
अभिभाषक एवं 'नोटरी'
देवास म.प्र.